WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27052026-272898
CG-DL-E-27052026-272898

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2576] नई दिल्ली, बुधवार, मई 27, 2026/ज्येष्ठ 6, 1948
No. 2576] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 27, 2026/JYAISTHA 6, 1948

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मई, 2026

का.आ. 2669(अ).— केंद्रीय सरकार, धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) (जिसे इसमें इसके पश्चात् धन-शोधन अधिनियम कहा गया है) की धारा 11क की उपधारा (1) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि नीचे दी गई सारणी में उल्लिखित रिपोर्टकर्ता इकाईयों ने आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् आधार अधिनियम कहा गया है) के अधीन गोपनीयता और सुरक्षा के मानकों का पालन किया है, और ऐसा किया जाना आवश्यक तथा समीचीन है तथा आधार अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण तथा समुचित विनियामक, अर्थात् भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात्, उक्त रिपोर्टकर्ता इकाइयों को धन-शोधन निवारण अधिनियम की धारा 11क के प्रयोजनों के लिए आधार अधिनियम के अधीन अधिप्रमाणन कार्य करने के लिए अनुज्ञात करती है, अर्थात्:—

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

सारणी

क्रम संख्यांक	इकाई का नाम
(1)	(2)
1.	ग्रो म्युच्युल फंड
2.	आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड
3.	अपस्टॉक्स सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड
4.	साइब्रिला टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
5.	आरित्या ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड

[फा. सं. पी-12011/3/2022-ईएस सेल-डीओआर]

प्रशांत सागर, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th May, 2026

S.O. 2669(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (1) of section 11A of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003) (hereinafter referred to as the Money-laundering Act), the Central Government on being satisfied that the reporting entities mentioned in the Table below comply with the standards of privacy and security under the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016)(hereinafter referred to as the Aadhaar Act) and it is necessary and expedient to do so, and after consultation with the Unique Identification Authority of India established under sub-section (1) of section 11 of the Aadhaar Act and the appropriate regulator namely, the Securities and Exchange Board of India, hereby permits the said reporting entities to perform authentication under the Aadhaar Act for the purposes of section 11A of the Money-laundering Act, namely:-

TABLE

S.No.	Reporting Entities
(1)	(2)
1.	Groww Mutual Fund
2.	ICICI Securities Limited
3.	Upstox Securities Private Limited
4.	Cybrilla Technologies Private Limited
5.	Aaritya Broking Private Limited

[F. No. P-12011/3/2022-ES Cell-DOR]

PRASHANT SAGAR, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27052026-272897
CG-DL-E-27052026-272897

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2575]	नई दिल्ली, बुधवार, मई 27, 2026/ज्येष्ठ 6, 1948
No. 2575]	NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 27, 2026/JYAISTHA 6, 1948

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मई, 2026

का.आ. 2668(अ).— केंद्रीय सरकार, धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) (जिसे इसमें इसके पश्चात् धन-शोधन अधिनियम कहा गया है) की धारा 11क की उपधारा (1) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि नीचे उल्लिखित रिपोर्टकर्ता इकाईयों ने आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् आधार अधिनियम कहा गया है) के अधीन गोपनीयता और सुरक्षा के मानकों का पालन किया है, और ऐसा किया जाना आवश्यक तथा समीचीन है तथा आधार अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण तथा समुचित विनियामक, अर्थात् भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण से परामर्श करने के पश्चात्, उक्त रिपोर्ट कर्ता इकाइयों को धन-शोधन निवारण अधिनियम की धारा 11क के प्रयोजनों के लिए आधार अधिनियम के अधीन अधिप्रमाणन कार्य करने के लिए अनुज्ञात करती है, अर्थात्:—

बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन(बीएसआईएफ)

[फा. सं. पी-12011/4/2019-ईएस सेल-डीओआर]

प्रशांत सागर, अवर सचिव

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th May, 2026

S.O. 2668(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (1) of section 11A of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003) (hereinafter referred to as the Money-laundering Act), the Central Government on being satisfied that the reporting entity mentioned below shall comply with the standards of privacy and security under the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016)(hereinafter referred to as the Aadhaar Act) and it is necessary and expedient to do so and after consultation with the Unique Identification Authority of India established under sub-section (1) of section 11 of the Aadhaar Act and the appropriate regulator namely, the Insurance Regulatory and Development Authority of India, hereby permits the said reporting entity to perform authentication under the Aadhaar Act for the purposes of section 11A of the Money-laundering Act, namely:-

Bima Sugam India Federation (BSIF)

[F. No. P-12011/4/2019-ES Cell-DOR]

PRASHANT SAGAR, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA